प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" मेन रोड नं.–1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011

क./व्यापम/5–प–1/ /7331/2015 भोपाल, दिनांक –30/09/2015

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अनुरोध पर बोर्ड द्वारा सहायक प्रोग्रामर, आई. टी. ऑपरेटर, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर संयुक्त चयन परीक्षा – 2013 का आयोजन दिनांक 05.05.2013 को किया गया था, जिसका परीक्षा परिणाम व्यापम द्वारा दिनांक 28.06.2013 को घोषित किया गया था। सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. ऑपरेटर, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर संयुक्त चयन परीक्षा – 2013 में अनियमितता ज्ञात होने पर स्पेशल टॉस्क फोर्स, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपराध प्रकरण कमांक 24/14 पंजीबद्ध किया गया है।

कार्यालय सहायक पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. एसटीएफ, भोपाल द्वारा पत्र कमांक–समनि–2/एसटीएफ/1041/2015 दिनांक 25.05.2015 जो व्यापम को दिनांक 26.05.2015 को प्राप्त हुआ, के माध्यम से अवगत कराया गया कि सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. ऑपरेटर, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर संयुक्त चयन परीक्षा – 2013 में सम्मिलित 14 अभ्यर्थियों के स्कैनिंग डाटा एवं परीक्षा परिणाम डाटा में भिन्नता होने से इनके द्वारा अनुचित साधनों को प्रयोग कर अनुचित तरीके से उक्त परीक्षा में सफलता अर्जित की गई है।

एसटीएफ, भोपाल द्वारा आरोपियों के विरूद्ध उपलब्ध कराये गये साक्ष्य यथा मैप फाईल एवं उल्लेखित प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण हेतु बोर्ड द्वारा नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक (कम्प्यूटर) तथा संयुक्त नियंत्रक (परीक्षा) की त्रिसदस्यीय समिति का गठन नस्ती पर किया गया। समिति की अनुशंसा के आधार पर संबंधित समस्त 14 अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे।

समिति द्वारा एसटीएफ से प्राप्त दस्तावेज, अभ्यर्थियों से संबंधित मण्डल में उपलब्ध प्रपत्रों तथा अभ्यर्थियों के प्रतिउत्तर का समग्र, सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण किया गया, जिसका अभ्यर्थीवार विवरण निम्नानुसार है–

1. **संगीता पटेल, रोल नं. 507264** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से **04** उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर **78** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल **82** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।
2. **पंकज क्षेत्रपाल, रोल नं. 508239** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से **05** उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर **78** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल **83** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।
3. **प्रशांत पंडोले, रोल नं. 508608** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से **00** उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर **81** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल **81** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

4. **समीर शर्मा, रोल नं. 511995** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से **00** उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर **81** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल **81** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

5. **ललित शिवहरे, रोल नं. 519401** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से **12** उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर **68** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल **80** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

6. **प्रभाकर पाण्डे, रोल नं. 532489** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से **05** उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर **75** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल **80** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

7. **अचल सिंह चौहान, रोल नं. 504181** – अभ्यर्थी को मण्डल द्वारा प्रेषित पत्र मूलतः वापस प्राप्त हुआ है। जिस पर पोस्टमेन की टीप प्राप्तकर्ता नहीं मिले अंकित है। अभ्यर्थी द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से **06** उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर **78** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल **84** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

8. **स्नेहलता तिवारी, रोल नं. 508993** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से **28** उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर **55** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल **83** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

9. **मयंक मिश्रा, रोल नं. 510699** – अभ्यर्थी को मण्डल द्वारा प्रेषित पत्र मूलतः वापस प्राप्त हुआ है। जिस पर पोस्टमेन की टीप मकान खाली करके चले गये, अंकित है। अभ्यर्थी द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से **05** उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर **79** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल **84** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

10. **संतशरण द्विवेदी, रोल नं. 530878** – अभ्यर्थी को मण्डल द्वारा प्रेषित पत्र मूलतः वापस प्राप्त हुआ है। जिस पर पोस्टमेन की टीप मकान खाली करके चले गये, अंकित है। अभ्यर्थी द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से **09** उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर **71** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल **80** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

11. **प्रकाश नारायण शर्मा, रोल नं. 503431** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से 14 उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर 69 अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल 83 उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

12. **वैभव शर्मा, रोल नं. 506275** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से 15 उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर 67 अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल 82 उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

13. **धर्मेश श्रीधर, रोल नं. 501019** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से 07 उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर 79 अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल 86 उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

14. **मुकेश सराठे, रोल नं. 506107** – अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में 'किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरानवास्तविक रूप से 13 उत्तर अंकित किये गये थे। परंतु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा–फेरी करवाकर 67 अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप आपके उत्तरशीट में लगे कुल 80 उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

उलेखित **समस्त 14 प्रकरणों** की व्यापम स्तर से जांच की गई। समिति द्वारा संपादित जांच में निम्नानुसार तथ्य परिलक्षित हुये :–

(i) समस्त प्रकरण स्कैन डेटा में हेराफेरी करने से संबंधित हैं, जिसका समाधान समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से हो जाता है।

(ii) समिति द्वारा परीक्षण में पाया गया कि अभ्यर्थियों के मूल स्कैन डेटा में वास्तविक रूप से गड़बड़ी की गई है, और उन्हें प्राप्तांकों में वृद्धि कर गलत तरीके से सफल करवाया गया है।

(iii) मूल स्कैन डेटा फाईल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रमाण है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना दस्तावेजों में हेराफेरी की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

(iv) परीक्षण से यह भी सिद्ध होता है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है।

(v) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में ओएमआर उत्तरशीट की स्कैनिंग एवं परीक्षा परिणाम का कार्य नितिन मोहिन्द्रा, तत्कालीन सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, अजय कुमार सेन, तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट एवं सी.के. मिश्रा, तत्कालीन सहायक प्रोग्रामर द्वारा डॉ. पंकज त्रिवेदी तत्कालीन नियंत्रक के निर्देशन में संपादित किया गया था।

(vi) एसटीएफ द्वारा इस परीक्षा के आपराधिक प्रकरण में सभी अभ्यर्थियों को तथा इनके मध्यस्थों को भी अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि उपरोक्त परिवर्तन इनके द्वारा/माध्यम से किया गया है।

उपरोक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों का यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है । जिसके कारण से इन 14 अभ्यर्थियों का व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम त्रुटिपुर्ण एवं दूषित है। अतएव् नियमपुस्तिका के अध्याय – 03 की कण्डिका – 3.13 के अंतर्गत अनुचित साधन **(UFM)** मान्य करते हुये, उनका परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल

पृ.क्रमांक/व्यापम/5–प–1/ /2015 भोपाल, दिनांक –

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, म.प्र. सातवीं वाहिनी के बाजू में जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. निदेशक, सीबीआई, अनवेषण परिसर, चार इमली, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. जनसम्पर्क शाखा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. संबंधित विभाग ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sd-
नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल